



उत्तर प्रदेश माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट (UPMIP)

पर ड्रॉप मोर क्राप - माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने का आवेदन पत्र



यह फार्म निःशुल्क है
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

केवल कार्यालय हेतु	
आवेदन का स्रोत :-	
लाभार्थी का प्रकार :-	
पंजीकरण नं : _____	आवेदन पंजीकरण करनेवाले का हस्ताक्षर _____
L / NL _____	आवेदन पंजीकरण करने की दिनांक _____
Repeat Case Completed of Seven	अभीलेखो की जांच करने वाले का हस्ताक्षर _____
Year of Reg. No.:	

यहाँ कृषक की फोटो चिपकाएँ

कृषक द्वारा भरने वाला विवरण

1 आवेदक कृषक का विवरण / निवेदन

कृषक का नाम :-

जाति :-

जन्म तिथि :-

आयु वर्ष :-

लिंग पुरुष/महिला :-

2 आवेदक किसान के आधारकार्ड से जुड़े बैंक खाते की जानकारी

आधार कार्ड सं.	बैंक खाता सं.
बैंक का नाम	शाखा का नाम
IFSC कोड सं.	MICR कोड सं.

3 भूमि एवम फसल का विवरण :

अनु. संख्या	गाँव का नाम	विकास खण्ड	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान फसलें		
						खरीफ	रबी	जायद
1								
2								
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)								

4 जल स्रोत की जानकारी अन्य (स्रोत अवश्य लिखें)

4.1 कुआँ / नलकूप हो तो उस खेत का खसरा संख्या :-

4.2 कुआँ / नलकूप पर लगी हुई इलेक्ट्रिक मोटर हॉर्स पावर (hp)

लगा हुआ डीजल इंजन हॉर्स पावर (hp)

4.3 पंप हेड (पानी की गहराई): फीट

4.4 मोटर/पंप का आउट लेट (आउट लेट साइज़) मिलीमीटर (mm)

5.0 पहले से उपलब्ध / आवेदन की गई सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी

अनु संख्या	पंजीकरण नं	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रकार (ड्रिप/सिंचकल)	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	फसल का नाम	सप्लायर कंपनी का नाम	आवेदन किया गया/ लगा हुआ वर्ष	प्राप्त अनुदान (रु)
1								

6.0 जिस भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली वांछित (अपनाना चाहते) है उसकी जानकारी

गाँव : गाँव का कोड : विकास खण्ड : विकास खण्ड का कोड : जनपद : जनपद का कोड : राज्य : उत्तर प्रदेश
राज्य का कोड यूपी -

- 7.0 मैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत निर्माता कंपनी का अपनी इच्छा से चयन करता हूँ ।
- 8.0 मैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के आपूर्तिकर्ता फर्म के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ और उनके द्वारा सर्वे होने के बाद उनके द्वारा निर्धारित मूल्य में स्वीकार्य होगा और उसके लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता हूँ ।
- 9.0 मैं आवेदन पंजीकरण और त्रि-पक्षीय समझौते के लिए समय सीमा के संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को स्वीकार करूँगा ।
- 10.0 मुझे राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार मिलने वाले सबसिडी अनुदान मान्य होगा ।
- 11.0 मैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश और आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ त्रि-पक्षीय समझौता करने के लिए सहमत हूँ और त्रि-पक्षीय समझौता करते समय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की कुल लागत में अनुदान के अतिरिक्त अन्य राशि जमा करने के लिए सहमत एवं बाध्य हूँ ।
- 12.0 अगर मेरी ओर से आवेदन होने के 180 दिन के समय में त्रि-पक्षीय समझौता नहीं होता है और त्रि-पक्षीय समझौता होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 75 दिनों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना / आपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तो मेरा अभ्यर्थन नियमानुसार अपने आप निरस्त हो जाएगा । जो मुझे ज्ञात है और दुबारा इस योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए नए से मेरे पसंदीदा सप्लायर्स के माध्यम से आवेदन करूँगा । इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह मुझे मान्य रहेगा ।
- 13.0 मैं वचन देता हूँ की मैं मेरे खेत में स्थापित हुई सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को कम से कम 07 (सात) वर्ष तक कार्यरत रखूँगा और इसे किसी को हस्तांतरित या बेचूँगा नहीं । अगर इसका मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमानुसार अनुदान राशि की वापसी के लिए सहमत हूँ ।
- 14.0 मैं योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ (हाँ / नहीं)
यदि हाँ तो बैंक का नाम शाखा
- 15.0 मैं उस बैंक शाखा से ऋण का समय पर पुनःभुगतान करने का वचन देता हूँ जिसे मुझे बैंक की नीति के आधीन ऋण प्राप्त होगा ।
- 16.0 सरकार द्वारा मेरी इस आवेदन की जानकारी सरकारी वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित करने की अनुमति देता हूँ ।

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है, यदि कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है तो बिना कोई पूर्व सूचना या कारण बताए हमारा आवेदन निरस्त करने की अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक _____

किसान के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान _____

स्थान _____

किसान का नाम _____

गवाह के हस्ताक्षर _____ नाम _____

(अगर किसान के अंगूठे का निशान हो तो गवाह के हस्ताक्षर और नाम आवश्यक है)

आवेदन के साथ कृषक द्वारा संलग्न किए जानेवाले सहायक दस्तावेजों की सूची

<ol style="list-style-type: none">1. खतोनी, खसरा, फॉर्म नं. १६ (पानी पत्रक) की मूल नकल2. आधार कार्ड की नकल प्राप्त।3. आधारकार्ड से जुड़े बैंक खाते की नकल प्राप्त।4. लघु सीमांत कृषक की दशा में शपथ पत्र।	<ol style="list-style-type: none">1. अगर संयुक्त खाता हो तो अन्य संयुक्त किसान की सहमति पत्र।2. जिस बैंक से ऋण लेना चाहते हो तो उस बैंक की सहमति पत्र।
--	---

टिप्पणी :- 1. आवेदन फॉर्म - 1, सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य है।
2. स्वेच्छानुसार आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ सर्वे डिज़ाइन करके अनुमति देनी होगी और ऋणी कृषक के मामले में क्रमांक नं 14 अनुसार स्वेच्छीक बैंक में आवेदन करने होंगे जहां से बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र के साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश में आवेदन जमा करवाना होगा।

प्रति श्री,
जिला उद्यान अधिकारी / अधीक्षक राजकीय उद्यान / आलू खं शाकभजी विकास अधिकारी, जनपद __।
उत्तर प्रदेश

वेब साइट :- <https://uphorticulture.gov.in/>